कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 6396 /प्र.अ./विधि /लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 05/07/24

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
भोपाल/वि./यां. भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर

2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी
मंडल.....

3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी
खंड.....

विषयः— विभाग में कार्यरत कार्यभारित हैंडपंप मेकेनिकों द्वारा, प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से ही वेतनमान रू.1150—1800/— प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किये गये न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभावी प्रतिरक्षण करने एवं वादी कर्मचारियों के पक्ष में पारित होने वाले निर्णयों के विरूद्ध तत्काल रिव्यू पिटीशन/रिट अपील/एस.एल.पी. दायर करने विषयक।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र कमांक 8921 दिनांक 08.06.2023(प्रतिलिपि संलग्न)

——0——

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्तमान में विभाग के संज्ञान में आया है कि अधीनस्थ कार्यरत कार्यभारित स्थापना के अनेकों हैंडपंप मेकेनिकों द्वारा उन्हें प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से ही रू. 1150—1800/— प्राप्त करने के लिये न्यायालयीन प्रकरण दायर किये जा रहे है। यह भी पाया गया है कि अनेकों मामलों में प्रभावी प्रतिरक्षण के अभाव में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय भी पारित किये गये है।

इस प्रकृति में प्रकरणों में पृष्ठभूमि यह है कि विभाग में कार्यरत कार्यभारित स्थापना के हैंडपंप मेकेनिकों को प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से ही नियमित स्थापना के हैंडपंप मेकेनिकों का वेतनमान रू.1150—1800/— त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया था। कुछ वर्षों उपरांत यह ध्यान में आने पर कि कार्यभारित स्थापना एवं नियमित स्थापना के हैंडपंप मैकेनिकों के वेतनमान अलग—अलग हैं, तथा उनका वेतनमान रू. 950—1530/— है, उन्हें प्राप्त हो रहे गलत वेतनमान को सुधारा गया था, जिससे व्यथित होकर कुछेक कार्यभारित स्थापना के हैंडपंप मैकेनिकों द्वारा राज्य प्रशासनिक अभिकरण के समक्ष प्रकरण दायर किये गये थे, जिसमें उनके पक्ष में निर्णय पारित किया गया था तथा उन्हें पुनः नियमित स्थापना का उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने लगा था।

म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2008 में यह स्पष्ट किया गया था कि कार्यभारित हैंडपंप मेकेनिकों और नियमित स्थापना के हैडपंप मैकेनिकों को दिनांक 01.01.1996 से एक ही

Seema Letter
30

a

वेतनमान प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में प्रमुख अभियंता, कार्यालय द्वारा कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु वर्ष 2008 एवं 2009 में निर्देश जारी किये गये थे, इन निर्देशों के पालनार्थ अनेक खंडों में कार्यभारित हैंडपंप मेकेनिकों के वेतन पुनरीक्षित नहीं किये गये थे।अंतिम रूप से विभाग द्वारा वर्ष 2018 में कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिकों के वेतन पुनरीक्षण उपरांत वसूली माफी के आदेश जारी कि गये थे।

इन आदेशों के उपरांत अनेक कार्यभारित हैंडपंप मेकेनिकों द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से ही नियमित स्थापना के हैंडपंप मेकेनिक के समान वेतनमान प्राप्त करने के लिये रिट याचिकायें दायर की जा रही है। इन रिट याचिकाओं का उद्देश्य वेतन पुनरीक्षण को ही निरस्त कराना है।

इस संबंध में लेख है कि विभाग में इस प्रकृति का प्रकरण **म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध अजय सिंह राठौर एवं अन्य** जो राज्य प्रशासनिक अभिकरण से उद्भूत होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अंतिम रूप से निर्णित है, में अंतिम रूप से अभिनिर्धारित है कि इन कर्मचारियों की वसूली माफ रहेगी, किंतु इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान यानि नियमित स्थापना के हैंडपंप मैकेनिक के समान वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.1996 से ही प्राप्त होगा। उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित सभी न्यायालयीन निर्णय आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया ध्यान दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारण इस तथ्य के बावजूद किया गया है कि कार्यभारित हैंडपंप मेकेनिकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित हैंडपंप मेकेनिक के समान वेतनमान का लाभ देने के आदेश पूर्व में माननीय राज्य प्रशासनिक अभिकरण द्वारा दिये गये थे, जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकी थी। उक्त निर्णय पर शासकीय अधिवक्ता का अभिमत भी संलग्न कर प्रेषित है।

यह भी पाया गया है कि कुछ शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस. एल.पी. (सिविल) कमांक 1172/2016 (म.प्र.शासन एवं अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2016 की गलत व्याख्या की जारी है तथा यह बताया जा रहा है कि उक्त निर्णय विभाग के विपरीत है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नही है। क्योंकि इस निर्णय के माध्यम से विभाग द्वारा दायर की गई रिट अपील कमांक 381/2010 एवं रिव्यू पिटीशन कमांक 395/2014 में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा पारित निर्णयों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से मान्य किया गया है।

"अजय सिंह राठौर" प्रकरण के न्यायालयीन निर्णय की प्रस्तुती एवं उसके आधार पर प्रतिरक्षण के अभाव में अनेक मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभाग के विपरीत निर्णय पारित किये गये है, तथा कर्मचारियों को नियमित स्थापना के हैंडपंप मेकेनिक का वेतनमान रू.1150–1800/– प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से ही स्वीकृत करने के आदेश दिये गये है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप कृपया यह परीक्षण कर लें कि आपके परिक्षेत्र/मंडल/खंड के अधीनस्थ इस प्रकृति के कितने न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में हैं? कृपया ऐसे सभी न्यायालयीन प्रकरणों में इस न्याय दृष्टांत को आवश्यक रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करावे। साथ ही शासकीय अधिवक्ता को भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2016 की वास्तविकता से अवगत करावें।

इसके अतिरिक्त आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके परिक्षेत्र/मंडल/खंड के अधीनस्थ इस प्रकृति के कोई आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी कर दिये गये हैं, तो ऐसे किसी